

३६ अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

105718/225

आकाश वगैरह बनाम पूजा वगैरह

तारीख

२०१८/००१०५

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

नम्बर व तारीख
अहकाम जोइस
हुक्म की तामील
जारी हुए

श्री

श्री. रत्न. राज

श्री

श्री. एम. चण्डिका रेड्डी १४५

आकाश वगैरह बनाम पूजा वगैरह

9.5.19

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष ने बताया कि अपील अन्तरिम स्थगन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है चूंकि प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है इसलिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित की जावें वे आवश्यक रूप से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण न्यायालय हाजा के आदेश से 30 दिवस में करें।

अभिभाषक उभयपक्ष प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने हेतु सहमत है। अतः अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को निस्तारण न्यायालय के आदेश से प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रमुख तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का विवेचन करते हुए एवं पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए 30 दिवस में निस्तारण करें। तब तक अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03.08.2016 यथावत् रहेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर